

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, मा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक, भू-अर्जन-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ -800- अन्य व्यय -0002-गजेटियर्स मांग सं0-40 विपत्र कोड 40-2070008000002 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1,19,27,000/- (एक करोड़ उन्नीस लाख सताईस हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वेतनादि एवं अन्य मदों में उपबंधित राशि कुल 1,19,27,000/- (एक करोड़ उन्नीस लाख सताईस हजार) रुपये मात्र निम्न रूप से इकाईवार आवंटित की जाती है:-

विषय शीर्ष	इकाई का नाम	बजट उपबंध	आवंटित राशि	शेष राशि
01-वेतन	01 वेतन	17,30,000	17,30,000	0
	03 जीवन यापन भत्ता	22,66,000	22,66,000	0
	04 मकान किराया भत्ता	3,45,000	3,45,000	0
	05 परिवहन भत्ता	42,000	42,000	0
	06 चिकित्सा भत्ता	12,000	12,000	0
	07 अन्य भत्ता	7,000	7,000	0
	योग-40-2070.00.800.0002.01-वेतन		44,02,000	44,02,000
11-यात्रा व्यय	01 यात्रा व्यय	1,10,000	1,10,000	0
योग-40-2070.00.800.0002.11-यात्रा व्यय		1,10,000	1,10,000	0
13-कार्यालय व्यय	01 कार्यालय व्यय	1,50,000	1,50,000	0
	06 उर्दी/पोशाक	15,000	15,000	0
योग-40-2070.00.800.0002.13-कार्यालय व्यय		1,65,000	1,65,000	0
16-प्रकाशन	01 प्रकाशन एवं मुद्रण	70,00,000	70,00,000	0
योग-40-2070.00.800.0002.16- प्रकाशन		70,00,000	70,00,000	0
28-व्यावासायिक सेवाएँ	02 सविदा सेवाएँ	2,50,000	2,50,000	0
योग-40-2070.00.800.0002.28 व्यावासायिक सेवाएँ		2,50,000	2,50,000	0
		कुल 1,19,27,000/- (एक करोड़ उन्नीस लाख सताईस हजार)		

- राशि की निकारी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में की जायगी।
- राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड, माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

कृ०प०उ०

4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि(2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, वर्दी/पोशाक, प्रकाशन एवं मुद्रण, संविदा सेवायें आदि मदों में मितव्ययिता बरती जाय। पूरे वर्ष के लिए किये गये बजट उपबंध के अनुसार ही आवश्यकता को देखते हुए राशि व्यय किया जाय।

5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह की 7 वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।

6. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-/रा0, पटना-15 दिनांक :-.....
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-/रा0, पटना-15 दिनांक :-.....
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिचाई भवन पटना / लेखा शाखा गजेटियर्स-(दो प्रतियों में)/ राज्य संपादक गजेटियर्स, बिहार, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :- (5)/रा0, पटना-15, दिनांक :-.....
प्रतिलिपि :- विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।